भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1456

गुरुवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन</u>

1456. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश ने जीवाश्म ईंधन से दूर होने के अपने एक भाग के रूप में वर्ष 2030 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी विद्युत की आधी मांग को पूरा करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश ने वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने की भी प्रतिबद्धता जताई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस संबंध में भविष्य की क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) कॉप-26 में माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसरण में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है।

दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में अब तक नॉन-फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल 172.72 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है। इसमें 119.09 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, 46.85 गीगावाट बड़ी पन बिजली और 6.78 गीगावाट नाभिकीय विद्युत क्षमता शामिल है।

(ख) से (घ): दिनांक 30.11.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में वर्ष 2022 तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की तुलना में कुल 41.89 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। इसके अलावा, 12.11 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और 1.70 गीगावाट क्षमता बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है।

स्थापित पवन विद्युत क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

साथ ही, देश में, विशेषकर पवन ऊर्जा स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- वर्ष 2030 तक पवन अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (पवन आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा
- पवन विद्युत जनरेटरों के निर्माण के लिए आवश्यक कुछ घटकों पर रियायती सीमा शुल्क में छूट
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले चालू की गई पवन परियोजनाओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) दिया जा रहा है।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के जरिए पवन संसाधन आकलन और संभाव्यता वाले स्थानों की पहचान करने सहित तकनीकी सहायता।

अनुलग्नक

'गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 15.12.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1456 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पवन विद्युत स्थापित क्षमता (30 नवम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	संचयी पवन विद्युत क्षमता (मेगावाट)
आन्ध्र प्रदेश	4096.65
गुजरात	9860.62
कर्नाटक	5268.15
केरल	62.5
मध्य प्रदेश	2844.29
महाराष्ट्र	5012.83
राजस्थान	4681.82
तमिलनाडु	9936.01
तेलंगाना	128.10
अन्य	4.30
कुल	**41895.27**

*****